


27-07-2020


अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख में संलग्न कागजात तथा संबंधित राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन का अवलोकन किया। धारित जमाबंदीदार या उनके वारिसान के द्वारा बंदोबस्ती कागजात/पट्टा/हुकुमनामा समर्पित किया गया है, जिसका सत्यापन संबंधित राजस्व अभिलेख से मिलान करने पर पाया कि प्रश्नगत भूमि का किस्म-परतीकदीम गत सर्वे खतियान में दर्ज है। स्थलीय जांच में पाया कि बंदोबस्तदार का उक्त भूमि पर मकान के रूप में शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। प्रश्नगत भूमि की बंदोबस्ती अनुमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती वाद सं०-83/2004-05 द्वारा की गई है। जिसका लगान रसीद बन्दोबस्तदार को पूर्व से वित्तीय वर्ष 2009-10 तक निर्गत है। बंदोबस्ती का सत्यापन अपेक्षित दस्तावेज अर्थात् बंदोबस्ती पंजी/बंदोबस्ती पट्टा /संबंधित अभिलेख से किया गया।

अतः संधारित अवैध/संदेहास्पद जमाबंदी को झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 06/भूमि का नियमितीकरण, 89/2020-1704/रा० दिनांक 15.07.2020 के आलोक में संचित कर मौजा बढौना थाना सं०-374 खाता सं०-96 खेसरा सं०-735 रकवा 00-00-10 धूर किस्म- परतीकदीम जो गनोरी रविदास पिता-स्व० मनेश्वर रविदास साकिन- बढौना के साथ बंदोबस्त है को भूमि की बैध बंदोबस्ती एवं दखल कब्जा के आधार पर नियमित किया जाता है।

अभिलेख की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित

  
अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।

  
27-7-2020

अंचल अधिकारी,  
गोड्डा सदर।